

>

Title: Regarding interference of Central Government with the decision of the State Government of Gujarat to take action against certain IPS officers of the State.

डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी (अहमदाबाद पश्चिम): अध्यक्ष महोदया, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे संघीय ढांचे के बारे में बोलने की अनुमति दी।

महोदया, भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और भारत का संविधान पूज्य बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने बनाया और मैं समझता हूँ कि दुनिया के श्रेष्ठ संविधानों में हमारा संविधान है। संविधान के तहत पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी के तहत देश का संचालन किया जाता है। इसमें केन्द्र और राज्य सरकार के बीच बैलेंस बनाया गया है।

महोदया, मैं गुजरात राज्य से लोक सभा में प्रतिनिधित्व करता हूँ। गुजरात की सरकार विकास और सुशासन में भारत के समस्त राज्यों में से सर्वश्रेष्ठ सरकार गिनी जाती है।...(व्यवधान) इसका मुझे गर्व है। गुजरात में कई आईपीएस अफसरों में व्याप्त अनुशासनहीनता के लिए गुजरात सरकार ने भारत के संविधान के तहत एवं भारत के वर्तमान कानूनों के तहत कार्रवाई की है। मैं कहना चाहता हूँ कि इस कार्रवाई में केन्द्र सरकार की ओर से बाधा डाली जा रही है। मुझे ऐसा लगता है कि भारत के संघीय ढांचे के तहत बाधा डालना सही नहीं है। मैं केन्द्र सरकार से आपके माध्यम से अनुरोध करता हूँ कि भारत के संघीय ढांचे को इम्बैलेंस करने की कोई कोशिश न करे। भारत में राज्यों को एक दर्जा दिया गया है और केन्द्र को अलग दर्जा दिया गया है और उसी के तहत कार्यों का क्रियान्वयन होता है।

इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूँ कि राज्यों के कार्यों में वह दखल न करे। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदया : श्री शिवकुमार उदासी और

श्री अर्जुन राम मेघवाल अपने को उपरोक्त मामले से संबद्ध करते हैं।

वेद! (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : श्रीमती रमा देवी।

आप कोई आरोप न लगाइया। बिना आरोप लगाए बोलिए।